फा.सं. 1/48(6) /2020-भर्ती –I
संघ लोक सेवा आयोग
भर्ती (1) अनुभाग

पद का नाम:	10 पद (अनुसूचित जनजाति-01, अन्य पिछड़ा वर्ग-02, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-01 और अनारक्षित-06) विशेषज्ञ ग्रेड III सहायक प्रोफेसर (नैदानिक रुधिरविज्ञान) केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा शिक्षण विशेषज्ञ के उप स्वर्ग में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भर्ती।
विज्ञापन संख्या:	11/2020
भर्ती के मामले रिक्ति संख्या:	20091106126
साक्षात्कार की तिथि	बाद में घोषित किया जाएगा

- लघुसुचिअन मानदंड (सभी श्रेणिओ के लिए): **EQA(i) +EQA(ii) + EQ(B):**

- ऑनलइन भर्ती आवेदन और दस्तावेजों की जाँच के आधार पर/प्रमाण पत्र अपलोड के आधार पर, निम्नलिखित आवेदकों को साक्षात्कार जे लिए प्रावधिक रूप से लघु सूचीबद्ध किया गया है

वर्ग	**लघु सूचीबद्ध आवेदन**
अनारक्षित	अनुक्रमांक. 01, 02, 03, 04, 05, 07, 11, 13, 16, 17, 20, 21, 23 & 24= कुल 14

- निम्नलिखित आवेदनों को ख़ारिज कर दिया गया है;

श्रेणी/ अस्वीकृति का कारण	**अनुक्रमांक**
आवश्यक योग्यता की कमी-A(ii) {LEQA(ii)}	06, 09, 12, 14, 18 & 22
आवश्यक योग्यता की कमी-B {LEQ(B)}	08 & 19
ईमेल के जवाब में दस्तावेज जमा न करने पर।	10 & 15

- आवेदकों की सूची **अनुलग्नक-ए** में है

उप सचिव/परामर्शदाता
संघ लोक सेवा आयोग

फा.सं. 1/48(6)/2020-भर्ती -I

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती (1) अनुभाग

ध्यान दें:- वे उम्मीदवार जो पद पर भर्ती हेतु शॉर्टलिस्टि करने के लिए अपनाए गए मानदंडों के अनुसार उनके आवेदन अस्वीकृत होने के अनुसरण में अभ्यावेदन करने के करने की इच्छा रखते हैंवे दिनांक , 03.12.2021 तक उचित आधार/ कारणों के साथ मेल द्वारा अभ्यावेदन (sort1.upsc@nic.in) प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तारीख के पश्चात प्रस्तुत ई-मेल पर विचार नहीं किया जाएगा । इस तरह के ई-मेल के साथ कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करने है। फिर भी यदि प्रस्तुत किए जाते है तो न तो उन्हें खोला जाएगा, और न ही उन पर विचार या कारर्वाई की जाएगी। सभी अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और यदि किसी भी मामले में उनमें ,दशार्ए गए आधार/ कारण अपनाए गए मानदंडों के अनुसार सही पाए जाते है तो ऐसे आवेदनों को शॉर्टलिस्टि किया जाएगा और अन्य को अस्वीकृत रखा जाएगा। इसके पश्चात, यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो संशोधित और अद्यतन संवीक्षा विवरण इसके स्थान पर अपलोड किए जाएंगे। इन ई-मेल में से किसी भी ई-मेल का अलग से जवाब नहीं दिया जाएगा।

उप सचिव /परामर्शदाता/
संघ लोक सेवा आयोग